निगरानी 750-PBR-15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी

1— श्रीमती अंजू ठाकुर पत्नी स्व. जगदीश, निवासी—ठाकुर मोहल्ला, सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद

2— मनीष ठाकुर पुत्र स्व. जगदीश ठाकुर निवासी— ठाकुर मोहल्ला, सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद

3— शंभूप्रसाद पुत्र स्व. नारायण प्रसाद ठाकुर, निवासी— ठाकुर मोहल्ला, सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद

4— पियूष मोदी पुत्र श्री नरोत्तम मोदी,

5— श्रीमती साधना मोदी पत्नी पीयूष मोदी

6— मनीष मोदी पुत्र श्री नरोत्तम मोदी निवासीगण—वार्ड नं. 11, सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद

श्री ए० के० सिंघल एड. द्वारा आज दि. 8-4-15 को प्रस्तुत
8-4-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

———प्रार्थीगण

बनाम

सर्वसाधारण/म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला होशंगाबाद

———प्रतिप्रार्थी

ए० के० सिंघल एडवो० 8/4/15

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1950 विरूद्ध आदेश दिनांक 24/02/2015 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद व प्रकरण क्रमांक राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 104/अपील/2013—14 जिसके द्वारा अधीनस्थ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 750—अध्यक्ष / 15 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9—7—2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के आदेश दिनांक 24—2—2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि आवेदकगण द्वारा फोजी पडाव से संबंधित भूमि पर सर्व साधारण को पक्षकार बनाकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि फोजी पडाव की भूमि भारतीय सेना के लिये सुरक्षित रहती है और उन्हीं स्थानों पर अपना पडाव डालते है । अतः आवेदकगण का यह दायित्व था कि वे भारत सरकार रक्षा मंत्रालय को पक्षकार बनाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करते । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	10/7/15